इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2019—फाल्गुन 3, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रथम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

क्रमांक: एफ 28-01/2019/ए-16, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश दुकान एवं

स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 59 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शकित्यों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है,, उक्त अधिनियम, की धारा 59 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होनेपर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राजय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"4. रजिस्ट्रीरकण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की कालावधि- धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण- धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर जारी किया जाएगा।

अनुक्रमांक	स्थापना का वर्ग	रजिस्ट्रीकरण फीस
(1)	(2)	(3)
1.	तीन कर्मचारियों तक वाली समस्त स्थापनाएं	रूपये दो सौ
2.	तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाएं	रूपये दो सौ पचास

परंतु सभी नियोजक, जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिए हैं, इन नियमों के संशोधनों के पश्चात्, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेंगे।"

2. नियम 6 में, परंतुक में, शब्द ''रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण'' के स्थान पर, शब्द ''रजिस्ट्रीकरण'' स्थापित किया जाए।

No.: F 28-01/2019/A-16 :: The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Shops and Establishment Rules, 1959, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 59 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958) is hereby, published as required by sub-section (3) of section 59 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby, given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendments on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

AMENDMENTS

In the said rules, -

1. for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely: -

"**4. Period of validity of Registration Certificate.** - The Registration Certificate granted under sub-section (3) of Section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by the employer.

5. Renewal of Registration Certificate. - Every registration certificate issued under sub-section (2) of section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishments.

S.No.	Class of establishment	Registration Fees
(1)	(2)	(3)
1.	All establishments having upto three employees	Rupees Two Hundred
2.	All establishments having more than 3 employees	Rupees Two Hundred fifty

Provided that all the employers who have obtained registration before 15th February, 2014 shall compulsorily obtaion registration after the amendments of these rules."

2. In rule 6, in the proviso, for the words "registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मालसिंह, अपर सचिव.

अन्तिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र. 799-2019.— "(1)The High Court of Madhya Pardesh Rules, 2008 का संशोधन (2) The High Court of Madha Pardesh Digitization of Records Rules, 2018 (3) The High Court of Madhya Pardesh (Conditions of Practice) Rules, 2012 का संशोधन (4) The High Court of Madhya Pardesh (Degination of Senior Advocates) Rules, 2018" राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 18 जनवरी 2019 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है किन्तु त्रुटिवश पुनः दिनांक 1 फरवरी 2019 को उक्त नियम इस विभाग द्वारा दोबारा राजपत्र में प्रकाशित किए गये हैं. अतः यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है दिनांक 1 फरवरी 2019 को उक्त नियम दोबारा प्रकाशित होना तथ्य की भूल मानते हुए दिनांक 18 जनवरी 2019 के राजपत्र प्रकाशन को ही वैध माना जाए अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2019 से ही उक्त नियम प्रभावशील समझे जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2019

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 2-12-2018-सात-शा-7.—शुद्धि-पत्र ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' क्रमांक 1 दिनांक 28 सितम्बर 2018 के भाग 4 (ग) पृष्ठ क्रमांक 989 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के भाग-ख में नियम 3 के उपनियम (3) में टंकण की त्रुटिवश शब्द 'निर्धारण किया गया है, की दिनांक से' अशुद्ध मुद्रित होने से उनके स्थान पर शुद्ध शब्द 'किया गया है, निर्धारण की दिनांक से' पढ़े जाऐं.

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 2-14-2018-सात-शा-7.—शुद्धि-पत्र ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' क्रमांक 1 दिनांक 4 जनवरी 2019 के भाग 4 (ग) पृष्ठ क्रमांक 1 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 का शीर्षक 'प्रारूप नियम' टंकण की त्रुटिवश अशुद्ध मुद्रित होने से उसके स्थान पर शुद्ध शीर्षक 'नियम' पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.